डिजिटल शिक्षा और विकलांग बच्चे

पूजा पाण्डे

परिचय

भारत में विकलांग बच्चों (CWD) के लिए स्कूली शिक्षा हमेशा से ही निराशाजनक रही है। जनगणना 2011 (एमएचए, 2011) के अनुसार, 5 से 19 वर्ष के आयु-वर्ग के विकलांग बच्चों की कुल संख्या का केवल 61 प्रतिशत ही स्कूल जाता है। हाल के अध्ययनों (*स्वाभिमान* 2020) ने सुझाया है कि डिजिटल अधिगम तक पहुँच न होने के कारण (PTI, 2020) विकलांग विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर बहुत ज़्यादा हो गई है, जो बढ़ती जा रही है। कोविड के प्रसार के कारण स्थिति और भी ख़राब हो गई है क्योंकि नियमित कक्षाएँ अचानक डिजिटल हो गई हैं। विकलांग बच्चों, उनके माता-पिता और शिक्षकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। महामारी ने डिजिटल शिक्षा पर, जो इन बच्चों के लिए अपेक्षाकृत नया और अपरिचित क्षेत्र है, अप्रत्याशित निर्भरता पैदा कर दी है।

सन्दर्भ

विकलांग बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से दो मंत्रालयों के पास है, पर उनकी भूमिकाएँ भिन्न हैं। सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय के तहत विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडी), विकलांगजनों के पुनर्वास और शिक्षा से सम्बन्धित विशेष योजनाओं को शुरू करने और लागू करने के साथ-साथ पुनर्वास पेशेवर और विशेष शिक्षकों की शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार है। शिक्षा मंत्रालय, विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को, *समग्र शिक्षा अभियान* की योजनाओं और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के तहत सम्बोधित करता है।

शिक्षा-प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में, विशेष रूप से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी (सीआईईटी) द्वारा शैक्षिक प्रौद्योगिकियों, अर्थात् रेडियो, टीवी, फ़िल्म, उपग्रह संचार और साइबर मीडिया आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सीआईईटी ने, स्कूली पाठ्यक्रम तक विकलांग बच्चों की पहुँच को आसान बनाने के लिए *बरखा* पठन शृंखला, ऑडियोबुक (DAISY का उपयोग करके) जैसी पहल की है (सीआईईटी, स्कूली पाठ्यक्रम तक पहुँच - एनसीईआरटी की पहल, 2017)।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार की हालिया पहल (एनसीईआरटी की, सीआईईटी और आईसीटी पहल) जैसे कि पीएम का *ई-विद्या* मंच (टाइम्स, 2020), PRAGYATA दिशानिर्देश (शिक्षा मंत्रालय, PRAGYATA - डिजिटल शिक्षा के लिए दिशानिर्देश, 2020) (धारा 3.4) विकलांग बच्चों की ज़रूरतों को पहचानते हैं।

लेकिन ऐसी कोई भी समर्पित सार्वजनिक घोषणा या कार्यवाही नहीं है जो यह बताती हो कि महामारी के दौरान, विकलांग बच्चों के लिए कक्षा-शिक्षण और शिक्षा के अन्य रूपों के ऑनलाइन तरीक़ों का उपयोग कैसे किया जाएगा। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत यह बच्चे एक *'वंचित समूह'* के रूप में मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के पात्र हैं।

नीतिगत समस्याएँ

शिक्षा के क्षेत्र में, भारत ने विकलांग बच्चों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने और एक मज़बूत क़ानूनी ढाँचा तैयार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा मंत्रालय के *सर्वशिक्षा अभियान* की जड़ें, सभी के लिए शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र विश्व घोषणा पत्र (ईएफए, यूएन) में हैं, जिसमें बच्चों के अधिकारों (विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों सहित) को शामिल किया गया है और शिक्षा के एक समावेशी वातावरण की माँग की गई है। इस घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य जनादेशों ने इन माँगों को प्रबल किया है। तथापि, शिक्षा की तेज़ी से बदलती हुई प्रकृति और डिजिटल अधिगम की क्रमिक शुरुआत के कारण डिजिटल शिक्षा को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए एक समानान्तर क़ानूनी और नीतिगत ढाँचे को विकसित करने की आवश्यकता है। समावेशी डिजिटल शिक्षा पर फ़िलहाल हमारे पास है केवल एक खण्डित और असमन्वित नीति।

डिजिटल समावेशन के मुद्दे को बुनियादी ढाँचे और डिज़ाइन के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सार्वभौमिक रूप से शिक्षा के लिए सुलभ बनाने के लिए 2018 में सिफ़ारिशों की एक सूची जारी की है (TRAI, 2018)। इस दस्तावेज़ में समन्वय और कार्यान्वयन

को लेकर चिन्ता दर्शायी गई है। इस सिफ़ारिश में यह निर्देश भी दिया गया है कि सरकारी वेबसाइट विकलांगजनों को सुलभ होनी चाहिए, जो अभी भी *ई-पाठशाला* सहित कई सरकारी वेबसाइटों पर लागू नहीं हुई हैं (राठी, 2019)।

विशेष रूप से शिक्षा के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में समावेशी और सुलभ डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर ज़ोर देते हुए, स्कूली शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी(आईसीटी) के लिए राष्ट्रीय नीति जारी की है (MHRD, National Policy on ICT in School Education, 2012)। किन्तु इसमें डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकियों में सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धान्तों को शामिल करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और यह अद्यतन वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देशों (Web Content Accessibility Guidelines) को प्रतिबिम्बित नहीं करती है।

डिजिटल शिक्षा को पुराने और असमन्वित तरीक़ों से सुलभ कराया जा रहा है। आरटीई अधिनियम, 2009 ख़ुद भी केवल स्कूलों के भौतिक बुनियादी ढाँचे के लिए मानक और मानदण्ड प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की अनुसूची में केवल यह कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा को शिक्षण और अधिगम उपकरण आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जाएँगे, बिना इस बात पर विचार किए कि समावेशन के लिए इस उपकरण का डिजिटल होना भी ज़रूरी हो सकता है।

समाधान खोजना

नीतिगत सुधार

डिजिटल शिक्षा नीति पर फिर से काम करने के लिए पहला क़दम तो यह है कि समावेशी शिक्षा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण हो जो सार्वभौमिक पहुँच के मानदण्डों को सामग्री-निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाए, न कि कोई पूरक अभ्यास। शिक्षा मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय और विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ समन्वय करना चाहिए और विकलांग शिक्षार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढाँचे के लिए ऐसे मानकीकृत दिशानिर्देशों को तैयार करना चाहिए जो विकलांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) के अनुरूप हों।

अगला क़दम यह है कि शिक्षा के सभी आईसीटी सेवा प्रदाताओं (सार्वजनिक और निजी) के लिए इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बना देना चाहिए। TRAI (2008) ने एक लम्बे समय से यह सिफ़ारिश की है कि विकलांगजनों के लिए सभी सरकारी वेबसाइट सुलभ कराई जाएँ, यह सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है कि इस सिफ़ारिश का पालन किया जाए।

जहाँ तक विशिष्ट अधिनियमों और नीतियों की बात है तो डिजिटल शिक्षा की पहुँच पर व्यापक दिशानिर्देश विकसित करने के लिए स्कूली शिक्षा में आईसीटी की राष्ट्रीय नीति की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन करना चाहिए। इसी प्रकार आरटीई अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करना और उसमें समावेशी डिजिटल शिक्षा के उन मानदण्डों और मानकों को शामिल करना ज़रूरी है जो स्कूलों पर लागू होते हैं। इसके अलावा शिक्षा में आईसीटी के पहुँच सम्बन्धी मानकों को 'विकलांगजन अधिकार अधिनियम' की धारा 40 के तहत अधिसूचित किया जाना चाहिए।

अन्त में, समावेशी डिजिटल शिक्षा की आशाएँ बहुप्रतीक्षित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी टिकी हैं, जिसमें अधिक सुलभ और समावेशी अधिगम की प्रौद्योगिकियों के निर्माण का विज़न बिखरे हुए रूप में दिखाई देता है।

अनुभव से सीखना

अभ्यासों और उदाहरणों से सीखना महत्त्वपूर्ण है। कोविड-19 ने हमारे सामने कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों तो खड़ी की हैं लेकिन साथ ही नवाचार और चिन्तन के द्वार भी खोल दिए हैं। यह प्रौद्योगिकी-आधारित अधिगम के लिए समान अवसर प्रदान कर सकता है और न केवल विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को बल्कि उनके शिक्षकों और माता-पिता को भी सशक्त बना सकता है। सभी बच्चों के समावेशन के लिए कई हितधारकों को एक साथ लाने और नवीन एवं अनुकूलनयोग्य समाधान तैयार करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक (WB, 2020) जैसी कई बहुपक्षीय एजेंसियाँ, इस महामारी के दौरान शिक्षा में किए जा रहे नवाचार के दुनिया भर के सर्वोत्तम अभ्यासों पर विचार कर रही हैं।

इसके अलावा भारत के कई नागरिक समाज संगठन विकलांग बच्चों की शिक्षा पर कोविड के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्षेत्र-आधारित अनुसन्धान और डेटा संग्रह का कार्य कर रहे हैं। कई रिपोर्टों और अध्ययनों ने बताया है कि स्मार्टफ़ोन, टीवी जैसे उपकरणों की कमी के कारण बच्चे ऑनलाइन अधिगम में भाग नहीं ले पा रहे हैं। अन्य लोगों के लिए यह कारण इस प्रकार हैं : उच्च गति वाले इंटरनेट की अनुपलब्धता, इन उपकरणों/ एप्लीकेशन को संचालित न कर पाना, सामग्री तक पहुँच न होना, विशेष शिक्षकों की अपर्याप्त तैयारी। कई स्वतंत्र संगठन (मनराल, 2020) भी बड़े सक्रिय रूप से ऐसी ऑनलाइन सामग्री का उत्पादन, वितरण और प्रोत्साहन कर रहे हैं जो अधिक व्यवहार्य, सुलभ और पहुँच योग्य हों, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो अन्यथा शायद इसमें भाग न ले पाते। कुछ राज्य जैसे केरल ऐसी बुनियादी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जो अधिक सुलभ और व्यापक रूप से

उपलब्ध हों जैसे टेलीविज़न ताकि अधिगम की निरन्तरता सुनिश्चित हो सके, यहाँ तक कि *व्हाइटबोर्ड* (K, 2020) जैसी पहल के माध्यम से वे विकलांग बच्चों के लिए उनके अनुकूल कक्षाओं की व्यवस्था भी कर रहे हैं।

अगले क़दम

हालाँकि इस महामारी ने मानवता के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयाँ पैदा की हैं, लेकिन साथ ही इसने आत्मविश्लेषण और नवाचार को भी प्रोत्साहित किया है। अभी तक केवल पहुँच की दृष्टि से देखा गया है समावेशन की दृष्टि से नहीं (पाण्डे, 2020), इसलिए यह एक ऐसा अवसर बन सकता है जिसमें प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में समान आधारों का निर्माण करते हुए सभी बच्चों का समावेशन किया जा सके। विकलांग बच्चों को अक्सर डिजिटल अधिगम की रणनीति बनाने की योजना में शामिल नहीं किया जाता (यूनिसेफ, 2020), लेकिन अब इसे बदला जा सकता है। ई-अधिगम विधियों को अपनाने से विशेष शिक्षकों को कई बच्चों तक एक साथ पहुँचने में सहायता मिल सकती है। लेकिन यह सब तभी हो सकता है जब सरकार शिक्षा को वास्तव में समावेशी और सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का निर्माण करने में सक्रिय रुचि ले। इसके लिए 'बेहतर रूप से संचालित और पर्याप्त सार्वजनिक निवेश, सुदृढ़ नीति-निर्माण और विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रशासकों तथा समुदायों की लोकतांत्रिक भागीदारी की ज़रूरत होगी।' (भारत, 2020)

References

Census. (2011). Table. Retrieved August 2020, from CensusIndia.gov: https://censusindia.gov.in/Meta-Data/metadata.htm#/tab1

Dept. of Telecommunications. (n.d.). USOF. Retrieved August 2020, from http://usof.gov.in/usofcms/miscellaneous/Concept%2520paper_USOF%2520Scheme_PwDs_A.G.Gulati.pdf

DoEPwD. (2020, April). What's New. Retrieved August 2020, from Disability Affairs: http://disabilityaffairs.gov.in/content/page/whats-new.php

K, A. N. (2020, July 10). TOI City. Retrieved August 2020, from The Times of India: https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/white-board-helps-special-kids-grasp-online-lessons/articleshow/76880972.cms

Manral, A. (2020, June 25). Amid a pandemic, lockdown and govt apathy, NGOs ensure online education addresses learning needs of disabled children. Retrieved August 2020, from https://www.firstpost.com/india/amid-a-pandemic-lockdown-and-govt-apathy-ngos-ensure-online-education-addresses-learning-needs-of-disabled-children-8460271.html

Ministry of Law and Justice. (2016). The Rights of Persons with Disabilities Act. GOI.

Pandey, S. S. (2020, April 26). TOI Blogs. Retrieved August 2020, from The Times of India: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/excluding-the-excluded-indias-response-to-the-education-of-children-with-disabilities-during-covid-19/

PTI. (2020, July 18). HT Education. Retrieved August 2020, from Hindustan Times: https://www.hindustantimes.com/education/43-children-with-disabilities-planning-to-drop-out-due-to-difficulties-faced-in-e-education-survey/story-cMy55e6gQ1XDUqxB9U6M6I.html

United, N. (n.d.). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations.



पूजा पाण्डे वर्तमान में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली के साथ समावेशी शिक्षा परियोजना पर काम कर रही हैं। उन्होंने 2017 में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु से डेवलपमेंट (लॉ, पॉलिसी एंड गवर्नेंस में विशेषज्ञता के साथ) विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। इसके पहले वे पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (PRIA) और यूनेस्को चेयर के साथ समुदाय-आधारित अनुसन्धान और उच्च शिक्षा की सामाजिक ज़िम्मेदारी पर काम कर चुकी हैं। वे शिक्षा, पहचान और सहभागी अनुसन्धान विधियों जैसे विषयों में रुचि रखती हैं। उनसे **poojaapandey.02@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल